न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 02/2019

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

श्री गफार खां पुत्र श्री सत्तार खां (एफ बी ओ एंव मालिक) मैसर्स– हावडा स्वीट्स, जोधपुर ,रेल्वे स्टेशन के सामने, जिला– जोधपुर निवासी– इन्द्रा कोलोनी, खारीयां मीठापुर, उदलियावास रोड, तह0 बिलाडा, जिला जोधपुर।

–:आदेश :– **दिनांक :–** 30.04.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.11.2018 को श्री रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग फर्म–मैसर्स–गफार जी मावे वाले एण्ड मिल्क वेण्डर, इन्द्रा कोलोनी, खारीयां मीठापुर, उदलियावास रोड, तह0 बिलाडा, जिला जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान 50 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मावा व मीठा मावा पॉलीथीन बैग में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मावा की एक किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 260/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

खरीदशुदा एक किलोग्राम मावा को चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक शिशियों में भरा तथा प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बून्दें प्रिजरवेटिव की डाली एवं प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयर टाइट बन्द किया। उन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी. ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1945 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1945 हस्ताक्षर युक्त डॉ0 सुनील कुमार सिंह बिष्ठ, अभिहित अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम– 1945 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त

कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावें के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1945 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एल0एस0 917/एक्ट/2018/936 दिनांक 28.12.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा का नमूना निर्धारित मिल्क फैट न्यूनतम 30.0 प्रतिशत के स्थान पर 26.32 प्रतिशत होने के कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) (v) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 एवं धारा 58 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1945 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण पेश करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाबत् लिखा गया, प्रति प्रस्तुत की गयी।

अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्राथी की ओर से अभिभाषक श्री पी0 एस0 पंवार ने लिखित में बहस में प्रस्तुत कर कथन किया कि जिस बर्तन में दूध खरीद कर लाया जाता है, उक्त बर्तन में भी पानी से धोकर लाया जाता है, उसी प्रकार मावा बनाते समय मावा बनाने वाली कड़ाई को भी पानी से धोकर बनाया जाता है, जिसके कारण कड़ाई में पानी की बूंदे चिपकी हुई रह सकती है, इस प्रकार शत प्रतिशत सावधानी बरतने के बाद भी मानक कोटी का मावा तैयार करने के प्रयास में शत प्रतिशत शुद्धता में अंश मात्र कमी रह सकती है।

जिस बर्तन में नमूना लिया गया था वह पहले से ही साफ–सुथरी हालत में नहीं था, जांच अधिकारी ने जानबूझकर रजिश से प्रकरण बनाने की नियत से नमूना लेने वाले बर्तन को साफ नहीं किया, इस कारण नमूना प्रभावित हुआ। अप्रार्थी के अभिभाषक ने लिखित बहस में निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा नम्रता का रूख रखते हुए अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) (v) एवं धारा 51, 58 के तहत दिये गये नोटिस को खारिज फरमावें व अन्य आदेश जो अप्रार्थी के हित में हो फरमावे।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया एवं अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी गफार खां पुत्र श्री सत्तार खां (एफ बी ओ एंव मालिक) मैसर्स– हावडा स्वीट्स, जोधपुर ,रेल्वे स्टेशन के सामने, जिला– जोधपुर वक्त जांच के दौरान खाद्य पदार्थ 50 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मावा विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी

जांच हेतु सैम्पल लिए गए, जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर, राजस्थान को भेजा गया था, उक्त जांच रिपोर्ट एल0एस0 917/एक्ट/2018/936 दिनांक 28.12.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा का नमूना निर्धारित मिल्क फैट न्यूनतम 30.0 प्रतिशत के स्थान पर 26.32 प्रतिशत होने के कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) (v) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 एवं धारा 58 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

आदेश

पत्रावली, एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 936 दिनांक 28.12.2018 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) (v) का दोषी हैं। अप्राथी गफार खां पर शास्ती रूपये 5000/– अक्षरे रूपये पाँच हजार की आरोपित की जाती हैं। अप्राथी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2019/ दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री गफार खां पुत्र श्री सत्तार खां (एफ बी ओ एंव मालिक) मैसर्स– हावडा स्वीट्स, जोधपुर रेल्वे स्टेशन के सामने, जिला– जोधपुर निवासी– इन्द्रा कोलोनी, खारीयां मीठापुर, उदलियावास रोड, तह0 बिलाडा, जिला जोधपुर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।